

रेलवे के साथ फर्मों का पंजीकरण की प्रक्रिया

परिचय :

- क्रय का सार रेशनल श्रोत चयन है ।
- रेल मंत्रालय द्वारा फर्मों एवं निलर्धारित जांच के बाद क्षमता सह सामार्थ्य के सावधानी पूर्व निर्धारण होने के बाद श्रोत चयन को प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता माना जाता है ।

पंजीकरण फार्म के मुख्य विशेषताएं :

- विशिष्ट ट्रेड ग्रूपों (98 ट्रेड ग्रूप) के निम्नांकित मौद्रिक स्लैब के लिए फर्म पंजीकृत हैं । जोकि निम्न प्रकार है :
 - 40 लाख एवं उससे ऊपर मूल्य के
 - 10 लाख से 40 लाख मूल्य के
 - 5 से 10 लाख मूल्य के
 - 1 लाख से 5 लाख के ऊपर मूल्य के
 - 1 लाख मूल्य तक
- मौद्रिक सीमा विनिश्चयन के लिए ध्यान देने योग्य बातें
 - संयंत्र एवं मशीनरी
 - उसी ट्रेड ग्रूप का क्रय आदेश का मूल्य
 - अर्जित किया गया प्रत्यायन
 - एन एस आई सी पंजीयन
 - बैंकर रिपोर्ट
 - क्षमता एवं अभिक्षमता
 - तुलन पत्र में दर्शाए गए वित्तीय सूचनाएं एवं विगत तीन वर्षों के लाभ व हानि की लेखा
- केवल वैसे ही फर्म जोकि निर्माणकर्ता हैं या उनके प्राधिकृत एजेंट 100000 या उससे ऊपर की सीमा तक के मौद्रिक पंजीयन के लिए विचार किए जाएंगें ।
- फर्मों का पूर्व निरीक्षण, 500000 से ऊपर मौद्रिक सीमा से अधिक के लिए आवश्यक
- उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण को समुचित वरीयता दी जाएगी
- एस एस आई इकाइयों को प्रथमतया एन एस आई सी के साथ पंजीकरण कराना होगा
- वैसे फर्म जो प्रथम दृष्टा पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं उन्हें मुफ्त में आवेदन पत्र

जारी किए जाते हैं

• एकल प्वाइंट पंजीकरण :

- एक रेलवे में पंजीकृत फर्म को दूसरे रेलवे में पंजीकृत करने के लिए विचार किया जाता है

- एस एस आई इकाइयां एन एस आई सी के साथ पंजीकृत होनी चाहिए

• पंजीकरण - औपबंधिक

- पंजीकरण तब तक औपबंधिक माना जाता है जब तक फर्म एक ऑर्डर को संतोषजनक तरीके से कार्यान्वित नहीं करता

पंजीकरण की समीक्षा :

- दो साल के प्रारंभिक पंजीकरण के बाद तीन साल में एक बार वेंडर निष्पादन के आधार पर रेलवे से पंजीकृत फर्मों का समीक्षा किया जाता है

वेंडर मूल्यांकन :

- प्रत्येक 6 महीनों में वेंडर रेटिंग के द्वारा वेंडर का मूल्यांकन किया जाएगा
- ₹.40000 के नीचे के ऑर्डर के लिए लागू नहीं है
- तीन साल के लिए प्लेस किए गए आदेश (न्यूनतम 3 आदेश)
- 30% से कम के लिए पंजीकृत वेंडर रेटिंग को हटाने पर विचार किया जाएगा
- 50% से कम गुणवत्ता के रेटिंग वाले पंजीकृत फर्म को ओवरऑल शून्य मूल्यांकन किया जाएगा

वेंडर रेटिंग :

- फर्मों को प्लेस किए गए क्रय आदेश के अंतर्गत डेलिवरी तथा आपूर्ति की गुणवत्ता के लिए निर्धारित किया जाएगा
- गुणवत्ता रेटिंग को 60% का अधिभार दिया गया है और आपूर्ति रेटिंग को 40% का अधिभार दिया गया है ।
- गुणवत्ता रेटिंग (QR) = स्वीकृत मात्रा/(स्वीकृत मात्रा + अस्वीकृत मात्रा)
- डेलिवरी रेटिंग (DR) = (समय पर आपूर्ति किया गया मात्रा + विलंब मात्रा X अधिभार फैक्टर)/ आदेश मात्रा एवं आपूर्ति के लिए आपूर्ति अवधि के अंदर 100% का अधिभार एवं डेलिवरी के बाद आपूर्ति का अनुपातिक अधिभार
- वेंडर रेटिंग (VR) = 0.6 X QR + 0.4 X DR

पंजीकरण का लाभ :

- मुद्रित फर्म में प्रकाशित बुलेटिन जिसमें सामग्रियों की जरूरत समाहित रहती है और उस सामग्री की आवश्यकता एक माह के अंदर पडी है उन्हें पंजीकृत फर्मों को भेजा जाता है

- ये बुलेटिन नामिनल धारक शुल्क के भुगतान पर जारी की जाती है और

www.rwf.indianrailways.gov.in पर प्रदर्शित किया जाता है

- पंजीकृत ट्रेड ग्रूपों के लिए ई एम डी/एस डी वेव्ड

- दूसरे रेलवे के साथ स्व पंजीकरण

दोषियों के लिए जुर्माना का प्रावधान :

- प्लेस किए गए क्रय आदेश में डिफाल्ट होने पर फर्म को कारण बताओ नाटिस जारी कर उसे निरस्त/प्रतिबंधित कर दिया जाएगा

- एन एस आई सी से पंजीकृत फर्मों के लिए एन एस आई सी से आवश्यक कामेंट मांगे जाएंगे

- रेलवे का निर्णय अंतिम होगा

- प्रतिबंध/निरस्तता का रिवोकेशन

- निरस्तता/प्रतिबंध का आदेश स्वतः रिवोक हो जाएगा यदि उसकी विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई हो

- निरस्तता/प्रतिबंध का आदेश संदेहस्पद हो या सुरक्षाजनक हो तो विशेष आदेश जारी किए जाएंगे

संपर्क पता :

- रेल पहिया कारखाना के साथ पंजीकरण करने के लिए अपने पूछ-ताछ को इन्हें सूचित करे उपमुख्य सामग्री प्रबंधक, रेल पहिया कारखाना, यलहंका, बेंगलूरु-560064, फोन - 28092402/28460394, फैक्स - 080-28460367

ई-मेल : cos@bgl.bsnl.net.in

पंजीकरण फार्म : रजिस्टेशन के लिए ब्रोचर एवं आवेदन को डाउनलोड करने के लिए (भाग-I,II एवं III) कृपया यहां क्लिक करें
